यूनिकत संकुन्नी मेनन

बनाम

राजस्थान राज्य

5 अप्रैल ,1967

[के .एन वांचू , वी भार्गव और जी के मित्तर जे जे]

भारत का संविधान- अनुछेद 14 और 15 -राजस्थान सचिवालय सेवा (वेतनमान का युक्तिकरण) नियम, 1956, राजस्थान सचिवालय सेवा में एक सहायक सचिव के लिए सचिवालय में उप सचिव के रूप में पदोन्नति पर विशेष और उच्च ग्रेड प्रदान करना- लेकिन राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सदस्य का सचिवालय के उपसचिव सचिवालय में उपसचिव के रुप में पदोन्नति पर भी विशेष वेतन की तुलना में समान ग्रेड प्रदान करना चाहे यह भेदभाव हो या अवसर की समानता से इंकार हो।

राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान का एकीकरण) नियम और अनुसूचियां, 1950 के तहत, राजस्थान सचिवालय में सेवारत एक व्यक्ति, उप सचिव के रूप में नियुक्ति पर, एक निर्दिष्ट वेतनमान में रखा गया था और इसके अलावा, वह विशेष वेतन का हकदार था। उन्हीं नियमों के तहत, राजस्थान प्रशासनिक सेवा का एक सदस्य, उप सचिव के रूप में नियुक्ति पर, समान वेतनमान और समान विशेष वेतन में वेतन पाने का हकदार था। 1950 के नियमों को राजस्थान सचिवालय सेवा (वेतनमान का युक्तिकरण) नियम और अनुसूचियां, 1956 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसके द्वारा यह प्रदान किया गया था कि सचिवालय सेवा में सहायक सचिवों के लिए उप सचिवों के कई चयन पद होंगे। बिना किसी विशेष वेतन के बढ़े हुए वेतनमान पर इसके अलावा, उप सचिव के रूप में नियुक्ति पर प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के लिए लागू वेतनमान को भी ऊपर की ओर संशोधित किया गया था, हालांकि सचिवालय सेवा के लिए उतनी ही सीमा तक नहीं और उनके मामले में ऐसी नियुक्ति पर विशेष वेतन का सिद्धांत जारी रखा गया था। 1961 और 1966 में नियमों को फिर से संशोधित किया गया,

जिसके तहत उप सचिव के पद पर नियुक्ति पर प्रत्येक सेवा के सदस्यों के लिए उच्च वेतनमान लागू किए गए, लेकिन ऐसी नियुक्ति पर विशेष वेतन की प्रणाली केवल प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के लिए जारी रखी गई।

अपीलकर्ता, जो सचिवालय सेवा में सहायक सचिव था और उसे उप सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया था, ने संविधान के अनुछेद 226 के तहत एक याचिका दायर की, कि 1956 के नियमों में उनकी सेवा के संबंध में लागू "विशेष वेतन के बिना" शब्द को अमान्य और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन घोषित किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.

इस न्यायालय में अपील में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन किया गया क्योंकि, (1) नियमों से पता चलता है कि उप सचिव के रूप में नियुक्त सचिवालय सेवा के सदस्यों के मामले में, कोई विशेष वेतन स्वीकार्य नहीं था, जबकि समान पदों पर रहते हुए प्रशासनिक सेवा के सदस्यों को ऐसा वेतन स्वीकार्य था। और (2) राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1951 के नियम 3(31) में "विशेष वेतन" की परिभाषा से पता चलता है कि इसका मतलब अन्य बातों के साथ-साथ कर्तव्यों की विशेष कठिन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त वेतन होना था। उप सचिव को प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के लिए ऐसे कर्तव्यों में शामिल माना जाता था, यह मानने का कोई कारण नहीं था कि वही पद सचिवालय सेवा के सदस्यों के लिए समान रूप से कठिन नहीं था।

अभिनिर्धारित - अनुच्छेद 14 के तहत कोई भेदभाव नहीं था या अनुच्छेद 16 के तहत अवसर की समानता से कोई इनकार नहीं था। (1) उप सचिवों के पदों पर नियुक्ति पर सचिवालय सेवा के सदस्यों पर समय-समय पर लागू होने वाले नियमों को किसी भी स्तर पर उन पर पहले से लागू नियमों से कम अनुकूल नहीं बनाया गया था और उन्हें किसी भी तरह से ख़राब नहीं माना जा सकता था, यदि सचिवालय सेवा के सदस्यों को समय-समय पर प्राप्त अधिकारों के आलोक में स्वयं विचार किया जाए [435C-D;438 E-F]

अपीलकर्ता सचिवालय सेवा से उप सचिव के पद पर आया जो प्रशासनिक सेवा से अलग और विशिष्ट सेवा है। दोनों सेवाओं की भर्ती योग्यता आदि के

तरीके एक जैसे नहीं हैं। अपने सामान्य समय-मान में, दोनों सेवाओं में समान ग्रेड नहीं होते हैं। यहां तक कि जिन पदों के लिए दोनों सेवाओं में भर्ती की जाती है, वे भी काफी हद तक भिन्न होते हैं। सचिवालय सेवा के सदस्य केवल सचिवालय में नियोजित होने के लिए होते हैं, जबकि प्रशासनिक सेवा के सदस्य ज्यादातर सचिवालय के बाहर के पदों के लिए होते हैं, हालांकि सचिवालय में कुछ पद उस सेवा के सदस्यों द्वारा भरे जा सकते हैं। ऐसे मामले में, जहां दो अलग-अलग और अलग-अलग सेवाओं से संबंधित सरकारी सेवकों की उप सचिव के पद पर नियुक्ति की जाती है, वहां उन सभी के उप सचिव के रूप में काम करने के दावे का कोई सवाल ही नहीं उठता। सचिवों को समान वेतन मिलना चाहिए, या आवश्यक रूप से दोनों को विशेष वेतन दिया जाना चाहिए। यह सोचना पूरी तरह से गलत है कि एक ही पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति यह दावा करने का हकदार है कि उसे उसी पद पर नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समान परिलब्धियों का भुगतान किया जाना चाहिए, भर्ती की विधि या जिस स्रोत से अधिकारी प्राप्त हुआ है, उसकी परवाह किए बिना उस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया जाता है। संविधान के अनुछेद 14 या 16 द्वारा ऐसी किसी समानता की आवश्यकता नहीं है। [435 F-436 B]

ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम महाप्रबंधक, मध्य रेलवे और अन्य ,[1960]2 एस सी आर 311 ; मोहन लाल बक्शी बनाम भारत संघ ए आई आर 1962 एस सी 1139 , पर भरोसा।

इसके अलावा, विभिन्न सेवा नियमों के तहत सचिवालय सेवा के एक सदस्य को उप सचिव के रूप में नियुक्ति पर एक विशेष उच्च ग्रेड की अनुमति दी गई थी, जबकि प्रशासनिक सेवा का एक सदस्य अपने पुराने वेतनमान पर ही बना रहा और उसे- विशेष वेतन के माध्यम से प्रति माह केवल 150/-रू का अतिरिक्त वेतन मिला । ऐसे मामले में, यह मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता कि सचिवालय सेवा के सदस्य को उच्च ग्रेड में रखे जाने के अलावा विशेष वेतन भी दिया जाना चाहिए। "विशेष वेतन" पद की प्रकृति में कठिन होने के किसी अंतर्निहित गुण से उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार, जब प्रशासनिक सेवा के किसी सदस्य को उप सचिव के रूप में नियुक्ति पर विशेष वेतन दिया जाता था,

तो इसका कारण यह हो सकता है कि यह पद उस पद की तुलना की प्रकृति में अधिक कठिन माना जाता था, जो उसे तब मिलता, जब वह नियमित पद पर बना रहता। उनकी सेवा के कैडर पर वहन किया गया। सचिवालय सेवा में एक सहायक सचिव के मामले में, एक उप सचिव का पद पहले से ही एक ग्रेड पर उसके लिए चयन पद के रूप में नामित किया गया था, और उप सचिव पद के आधार पर उसे दिए जाने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। सहायक सचिव के पद की तुलना में यह अधिक कठिन प्रकृति का है। [437D-F;438 C-E]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 274 / 1967

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 336/1964 में राजस्थान उच्च न्यायालय के 18 नवंबर, 1965 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

ब्रिजबंस किशोर और डी. पी. गुप्ता [अपिलार्थी पक्ष]

जी.सी कसलीवाल, *महाधिवक्ता*- राजस्थान राज्य और के.बलदेव मेहता

[प्रतिवादी पक्ष]

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया

भार्गव ,जे। अपीलकर्ता, यूनिकाट संकुन्नी मेनन, राजस्थान के राज्य बनने के बाद सचिवालय में राजस्थान सरकार की सेवा में थे। सचिवालय में पदों के वेतन और ग्रेड भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राजप्रमुख द्वारा बनाए गए राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान का एकीकरण) नियमों और अनुसूचियों द्वारा शासित होते थे। उन नियमों के तहत, सरकार के एक सहायक सचिव को रुपये के पैमाने पर रु.250-25-400-ई.बी.-25-500 वेतन मिलता था। और, इसके अलावा, रु.50/- रुपये के विशेष वेतन का हकदार था। सरकार के एक उप सचिव ने रुपये के पैमाने रु. 500-25-700 वेतन प्राप्त किया और इसके अलावा रु.100/- रुपए के विशेष वेतन का हकदार था। इसके बाद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राजप्रमुख द्वारा राजस्थान सचिवालय सेवा नियम,1954 बनाए गए और 10 जनवरी, 1955 से लागू किए गए। इन नियमों

के तहत, अपीलकर्ता राजस्थान सचिवालय सेवा (इसके बाद इसे "आर.एस.एस." के रूप में संदर्भित किया गया) का सदस्य बन गया। उस समय, वह एक सहायक सचिव के पद पर थे, जिसका समयमान वेतन रु. 250-25-400-ईबी-25-500 था । वह रु.75/- प्रति माह रुपये का विशेष वेतन भी ले रहा था। दिनांक 25 मई, 1956 की अधिसूचना द्वारा, राजप्रमुख, फिर से भारत के संविधान के 309 के तहत कार्य करते हैं।, प्रख्यापित राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान का युक्तिकरण) नियम और अनुसूचियां, 1956 । इन नियमों के तहत, उप सचिवों और सहायक सचिवों के लिए लागू वेतन ग्रेड को संशोधित किया गया था। सहायक सचिवों के पदों को आर.एस.एस. के सामान्य समय-मान से संबंधित दिखाया गया था जो रु. 250-25-500-ईबी-25-750 को रु. 75/- रुपये के ग्रेड वाले विशेष वेतन के साथ, इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया कि आर.एस.एस. के सदस्यों के लिए चयन पद होंगे। जिन्हें इस पदनाम को कोष्ठक में रखकर सरकार के उप सचिवों के पद के रूप में दर्शाया गया था, और रु. 500-30-740-EB30-800-50- 900 का एक नया वेतनमान दिया गया था। इन चयन पदों के लिए बिना विशेष वेतन निर्धारित किया गया था। टिप्पणी कॉलम में, एक नोट था कि, उप सचिव के रूप में पदोन्नति पर, एक अधिकारी को रु.500/- रुपये मिलेंगे। या सहायक सचिव के रूप में उनके मूल वेतन मे न्यूनतम 150/- रु. की बढ़ोतरी जो भी अधिक हो। ये नियम तब लागू थे, जब 10 जनवरी, 1959 को अपीलकर्ता को उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उस तारीख को, वह 475/- रुपये प्रतिमाह का वेतन प्राप्त कर रहा था। और आर.एस.एस. के सामान्य समय पैमाने में 75/-, रुपये का विशेष वेतन भी प्राप्त कर रहा था। क्योंकि वह सरकार के सहायक सचिव के पद पर था । परिणामस्वरूप, उप सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति पर, जो कि आर.एस.एस. के लिए एक चयन पद था।उनका वेतन 650/-.रुपये निर्धारित किया गया था। ऊपर उल्लिखित टिप्पणी कॉलम में निर्धारित फॉर्मूले के तहत, उन्हें 625/- रुपए वेतन स्वीकार्य, लेकिन, चूंकि चयन पदों के लिए तय नये ग्रेड में 625/-, रुपये की कोई सीमा नहीं थी. उनका वेतन 650/- निर्धारित किया गया। टिप्पणी कॉलम में राशि से ऊपर के अगले उच्च स्तर पर निर्धारित सूत्र के आधार पर उसके मामले में गणना की गई। सरकारी निर्देश के तहत यह प्रक्रिया अपनायी गयी। इसके बाद, डिप्टी के पदों के लिए ग्रेड। राजस्थान के राज्यपाल द्वारा संविधान के

अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1961 को लागू करके सचिवों और सहायक सचिवों को फिर से संशोधित किया गया। इन नियमों के तहत, आर.एस.एस. से संबंधित सरकार के सहायक सचिव के लिए लागू ग्रेड 360-25-560-30-590-ईबी-30-860-900 रुपये के रूप में निर्धारित किया गया था। नियमों में यह भी दर्शाया गया है कि यह संशोधित वेतनमान ग्रेडपे में ही विशेष वेतन के विलय के फलस्वरूप निर्धारित किया गया है। सरकार के उप सचिवों के ग्रेड को भी संशोधित कर रु. 550-30-820-ईबी-30850-50-1100. ऐसा प्रतीत होता है कि, बाद में, वर्ष 1966 में उप सचिवों के पद पर वेतनमान में एक और संशोधन हुआ, और नवीनतम ग्रेड रु. 900-50-1500 आर.एस.एस. के सदस्यों पर लागू हुआ।

इन विभिन्न नियमों के अलावा, जो समय-समय पर, आर.एस.एस. के सदस्यों पर लागू होते थे, हम उन नियमों को भी इंगित कर सकते हैं जो उप सचिव पदों पर रहते हुए राजस्थान प्रशासनिक सेवा (इसके बाद "आर.ए.एस." के रूप में संदर्भित) के सदस्यों पर लागू होते थे। वर्ष 1956 तक लागू रहे राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान का एकीकरण) नियम एवं अनुसूचियां, 1950 के अंतर्गत आर.ए.एस. , उप सचिव के रूप में नियुक्ति पर, रु0 500-25-700 रुपये के समान ग्रेड में रु0 100/- के विशेष वेतन के साथ वेतन प्राप्त किया उसी प्रकार जैसे आर.एस.एस. का सदस्य। जब राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान का युक्तिकरण) नियम और अनुसूचियां, 1956 लागू हुई, तो यह सिद्धांत हटा दिया गया। आर.ए.एस. के सदस्यों के लिए लागू वेतन ग्रेड निर्धारित करते समय , उनके वरिष्ठ और कनिष्ठ वेतनमान को एक पैमाने में जोड़ दिया गया जिसे रुपये 250-25-500-ईबी-25-750 चयन ग्रेड के साथ। के रु0 500-30-740-ईबी-30-800-50-900 रुपये के समय पैमाने के रूप में दिखाया गया।9 अप्रैल, 1951 और 19 जनवरी, 1955 को जारी सरकारी आदेशों के अनुसार जो उन अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत रूप से स्वीकार्य था, जिन्हें पहले रु0 500-25-700 रुपये के ग्रेड पर नियुक्त किया गया था। फिर, यह निर्धारित किया गया कि आर.ए.एस. के अधिकारियों को कुछ पदों पर विशेष वेतन स्वीकार्य होगा, समयमान या चयन ग्रेड पर, और, इनमें से, सरकार के उप सचिवों के पद थे। जब सरकार के उप

सचिवों के पदों पर नियुक्त किया गया तब आर.ए.एस. के सदस्यों के लिए नियमों में रु.1501 रुपये का विशेष वेतन निर्धारित किया गया। राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) 1961 नियमों के तहत ग्रेड के बाद के संशोधन में , सामान्य समय-पैमाने के लिए आर.ए.एस. का ग्रेड रु. 285-25-510-ईबी-25-560-30-800 रुपये और सीनियर स्केल में 4 3 4 पदों के लिए रु 550-30-820-EB-30-850-50-950.,साथ में चयन ग्रेड रु. 65050-1250 तक संशोधित किया गया था। इन नियमों के तहत फिर से ,यह निर्धारित किया गया कि आर.ए.एस. का एक अधिकारी। उप सचिव के रूप में नियुक्ति पर वरिष्ठ वेतनमान में एक पद धारण करना।, अंतिम संशोधन के तहत आर.ए.एस. का एक सदस्य। 150/1966 रुपये के विशेष वेतन के हकदार होंगे। उपसचिव के रूप में नियुक्ति पर सचिव को अपने नियमित समय-मान में रु. 550-30-820-ईबी-30-850-50-1100, रुपये और न्यूनतम रु. के अधीन। रु. 640/-, रुपये के साथ रु. 150/- रुपए विशेष वेतन प्राप्त करना था। आर.ए.एस. के एक सदस्य के मामले में, अपनी सेवा के लिए लागू चयन ग्रेड में एक पद धारण करते हुए, उन्हें अपने चयन ग्रेड में रु.150/- रुपये के विशेष वेतन के साथ वेतन प्राप्त करना था। इस प्रकार, आर.ए.एस. के सदस्यों के मामले में। उप सचिवों के पदों पर नियुक्त किये जाने पर विशेष वेतन स्वीकार्य बना रहा, जबकि आर.एस.एस. के सदस्यों को विशेष वेतन देने का सिद्धांत लागू रहा। उप सचिवों के पद पर नियुक्ति समाप्त कर दी गई।

इन नियमों के आधार पर ही अपीलकर्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर की और में दावा किया गया है कि राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान का युक्तिकरण) नियम और अनुसूचियां, 1956 में "विशेष वेतन के बिना" शब्द को अमान्य और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन घोषित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता अब विशेष अनुमति द्वारा इस न्यायालय में आया है ।

अपीलकर्ता के दावे की दो अलग-अलग पहलुओं से जांच की जानी है। पहला पहलू यह है कि आर.एस.एस. के सदस्यों पर समय-समय पर लागू होने वाले नियम। उप सचिवों के पदों पर नियुक्ति पर, किसी भी स्तर पर, पहले से

लागू नियमों की तुलना में कम अनुकूल नहीं बनाया गया जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान का एकीकरण) नियम और अनुसूचियां, 1950 के तहत, राजस्थान सचिवालय में सेवारत एक व्यक्ति को उप सचिव के रूप में नियुक्ति पर रु. 500-25-700 रुपये के समय-मान में रखा गया था और इसके अलावा, रु.100/- रुपये के विशेष वेतन का हकदार था। जब राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान का युक्तिकरण) नियम और अनुसूचियां, 1956 के तहत नियमों को पहली बार संशोधित किया गया, तो सहायक सचिव के रूप में **सामान्य** समय-मान पर काम करने वाला आर. एस. एस. का एक सदस्य उप सचिव के रूप में, रु. 500-30740-ईबी-30-800-50-900 रुपये के वेतनमान में भुगतान करने के लिए नियुक्ति पर हकदार बन गया। यह सच है कि, इन नियमों के तहत ऐसी नियुक्ति पर, वह किसी विशेष वेतन का हकदार नहीं था; लेकिन टिप्पणी कॉलम में दिए गए वेतन निर्धारण के सिद्धांत ने यह सुनिश्चित किया कि अधिकारी को स्वीकार्य वेतन निश्चित रूप से उस वेतन से अधिक होगा जो स्वीकार्य होता यदि पहले के नियम लागू रहते। उप सचिव पद के लिए निर्धारित वेतनमान पिछले वेतनमान से अधिक था। इसके अलावा, उप सचिव के रूप में पदोन्नति पर, आर.एस.एस. का प्रत्येक अधिकारी सहायक सचिव के रूप में उनके मूल वेतन पर न्यूनतम रु.150/- रुपये की वृद्धि प्राप्त की। तथ्य यह है कि उप सचिव के पद पर नियुक्ति पर वेतन तय करते समय सहायक सचिव के रूप में विशेष वेतन को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप यदि पुराने पैमाने लागू रहते तो उन्हें मिलने वाली परिलब्धियों की तुलना में नए वेतनमान के तहत प्राप्त होने वाली परिलब्धियों में कोई कमी नहीं हुई। 1961 और 1966 में बाद के संशोधनों में भी इस सिद्धांत का पालन किया गया, ताकि राजप्रमुख या राजस्थान के राज्यपाल, उप सचिवों पर लागू वेतनमान को संशोधित करने वाले इन विभिन्न नियमों को प्रख्यापित करते समय, यह सुनिश्चित करें कि कोई भी संशोधित नियम किसी सदस्य के पूर्वाग्रह के लिए संचालित न हो। आर.एस.एस., पहले के नियमों की तुलना में जिसके तहत अधिकार उसे निहित थे। इसके अलावा, किसी भी स्तर पर यह आग्रह नहीं किया गया कि राजप्रमुख या राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए समय-समय पर इन संशोधित नियमों को लागू करने में अक्षम हैं। इस प्रकार नियम आर.एस.एस. के सदस्य पर लागू होते हैं। उप

सचिव के पद पर नियुक्ति पर, जिसके खिलाफ अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में अपनी शिकायत की थी, उसे किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं माना जा सकता है, यदि आर.एस.एस. के सदस्यों के अधिकारों के आलोक में स्वयं विचार किया जाए जो समय-समय पर धारण किया हुआ है।

दूसरा पहलू, और जिस पर इस अपील में अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने मुख्य रूप से भरोसा किया था, वह यह है कि नियम, प्रथम दृष्टया, दिखाते हैं कि, आर.एस.एस. के सदस्यों के मामले में उप सचिव के रूप में नियुक्त होने पर कोई विशेष वेतन स्वीकार्य नहीं है, जबकि समान पद धारण करते समय। आर.ए.एस. के सदस्यों को विशेष वेतन स्वीकार्य है। इस स्पष्ट भेदभाव के आधार पर अपीलकर्ता ने आग्रह किया कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन किया गया जब आर.एस.एस. के सदस्यों को विशेष वेतन देने से इनकार कर दिया गया, जबकि आर.ए.एस. के सदस्यों को विशेष वेतन स्वीकार्य था।

अपीलकर्ता की ओर से पेश की गई इस शिकायत को खारिज करने के दो कारण हैं। पहला यह कि अपीलकर्ता आर.एस.एस. से उप सचिव के पद पर आता है जो कि आर.ए.एस. से विशिष्ट और पृथक सेवा है। दोनों सेवाओं की भर्ती के तरीके, योग्यताएं आदि एक समान नहीं हैं। अपने सामान्य समय-मान में, दोनों सेवाएँ समान ग्रेड नहीं रखती हैं। यहां तक कि जिन पदों के लिए दोनों सेवाओं में भर्ती की जाती है, वे भी काफी हद तक अलग-अलग हैं। आर.एस.एस. के सदस्य केवल सचिवालय में नियोजित होने के लिए हैं, जबकि आर.ए.एस. के सदस्य। ये अधिकतर उन पदों के लिए हैं जो सचिवालय के बाहर हैं, हालांकि सचिवालय में कुछ पद आर.ए.एस. के सदस्यों द्वारा भरे जा सकते हैं। ऐसे मामले में, जहां दो अलग-अलग सेवाओं से संबंधित सरकारी सेवकों की उप सचिव के पद पर नियुक्ति की जाती है, वहां इस दावे का कोई सवाल ही नहीं उठता कि उप सचिव के रूप में काम करते समय उन सभी को समान वेतन मिलना चाहिए, या अनिवार्य रूप से दोनों को विशेष वेतन दिया जाना चाहिए। यह सोचना पूरी तरह से गलत है कि एक ही पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति यह दावा करने का हकदार है कि उसे उसी पद पर नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समान समान परिलब्धियां दी जानी चाहिए, भर्ती की पद्धति, या उस स्रोत की उपेक्षा करना जहां से उस पद पर नियुक्ति के लिए अधिकारी को नियुक्त किया जाता है।

संविधान के अनुछेद 14 या 16 द्वारा ऐसी किसी समानता की आवश्यकता नहीं है। इस सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा सबसे पहले ***ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम महाप्रबंधक, मध्य रेलवे और अन्य*** के मामले में समझाया गया था। (1) ऐसे में रेलवे सेवा में पहले से कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर और गार्ड के प्रमोशन के अधिकार पर सवाल खड़ा हो गया है। सहायक स्टेशन मास्टरों ने इस आधार पर गार्डों के लिए पदोन्नति के अवसर की समानता का दावा किया कि वे रोजगार के मामले में अवसर की समानता के हकदार थे अथवा के संविधान की धारा 16(1) तहत राज्य के किसी भी कार्यालय में नियुक्ति। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया : "यह स्पष्ट है कि, एक ही वर्ग के सदस्यों के बीच, यह प्रश्न उठ सकता है कि सेवा की शर्तें समान हैं या नहीं। यदि वे नहीं हैं, तो ऐसे मामलों में समान अवसर से वंचित करने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता होगी। हालाँकि, क्या रोजगार के मामलों में समान अवसर की अवधारणा राज्य के तहत कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के सदस्यों के बीच प्रावधानों में भिन्नता पर लागू होती है? हमारी राय में, उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। समानता की अवधारणा का उन मामलों के संदर्भ के अलावा कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है जो व्यक्तियों के बीच सामान्य हैं, जिनके बीच समानता समर्पित है रोजगार के मामलों में अवसर की समानता केवल उन व्यक्तियों के बीच ही निर्धारित की जा सकती है, जो या तो समान रोजगार की तलाश कर रहे हैं, या समान रोजगार प्राप्त कर चुके हैं"। आगे बढ़ते हुए, न्यायालय ने कहा: "हमारी राय में, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि पदोन्नति के मामलों में अवसर की समानता का मतलब कर्मचारियों के एक ही वर्ग के सदस्यों के बीच समानता होना चाहिए, न कि अलग-अलग, स्वतंत्र वर्गों के सदस्यों के बीच समानता"। बाद में इसी सिद्धांत की पुष्टि ***किशोरी मोहनलाल बख्शी बनाम भारत संघ (2)*** के मामले में भी की गई। उस मामले में, आयकर अधिकारियों की श्रेणी 11 में नियुक्त व्यक्तियों ने दावा किया कि वेतनमान के मामले में उनके खिलाफ भेदभाव किया गया था, जबकि श्रेणी I सेवा में सीधे भर्ती किए गए आयकर अधिकारियों की तुलना में। कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा : "एकमात्र अन्य तर्क यह उठाया गया है कि क्लास I और क्लास II अधिकारियों के बीच भेदभाव होता है, हालांकि वे एक ही तरह का काम करते हैं, लेकिन उनके

वेतनमान अलग-अलग होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह संविधान 14 का उल्लंघन है। यदि इस तर्क में कोई वैधता है, तो किसी अधिकारी की सेवा की अवधि के आधार पर कोई वृद्धिशील वेतनमान निर्धारित नहीं किया जा सकता है। समान काम के लिए समान वेतन के अमूर्त सिद्धांत का अनुछेद 14 से कोई लेना-देना नहीं है। यह तर्क कि संविधान की अनुछेद 14 का उल्लंघन किया गया है, अत: विफल रहता है"। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता का यह दावा कि उप सचिव के रूप में नियुक्ति पर, उसे आर.ए.एस. के सदस्यों के बराबर रखे जाने के आधार पर विशेष वेतन प्राप्त करने का हकदार माना जाना चाहिए, इसलिए खारिज कर दिया गया है।

दूसरा आधार, जो दर्शाता है कि अपीलकर्ता की ओर से किए गए दावे का कोई आधार नहीं है, वह यह है कि विभिन्न सेवा नियमों के तहत, उप सचिव के रूप में नियुक्ति पर आर. एस. एस. के एक सदस्य को विशेष रूप से और अलग से एक ग्रेड में वेतन दिया जाता है। उप सचिवों के पदों के लिए निर्धारित, जबकि आर.ए.एस. के सदस्य को उस ग्रेड में रखा ही नहीं जाता है। इस प्रकार, नवीनतम नियमों के तहत, आर.एस.एस. का एक सदस्य, उप सचिव के रूप में नियुक्ति पर, रु. 900-50-1500 रुपये के ग्रेड में वेतन प्राप्त करता है।. दूसरी ओर, उप सचिव के पद पर नियुक्त आर.ए.एस. के सदस्य को इस वेतनमान में वेतन नहीं दिया जाता है। इस मामले में, वह आर.ए.एस. में उनके लिए लागू वेतनमान में अपना वेतन प्राप्त करना जारी रखते हैं और रु. 150/- के विशेष वेतन की अनुमति भी । यह विशेष वेतन आर.ए.एस. के सदस्य को दिया जाता है। इसलिए, उप सचिवों के पदों के लिए विशेष रूप से निर्धारित ग्रेड में वेतन के अतिरिक्त नहीं है। वह ग्रेड आर.ए.एस. के सदस्य के लिए लागू ग्रेड से बहुत अधिक है। जो उप सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति पर लागू होता रहता है, और यह केवल उस निचले समय-मान के अतिरिक्त है जो आर.ए.एस. का सदस्य है। रु.150/- रुपये के विशेष वेतन की अनुमति है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उप सचिव के रूप में नियुक्ति पर दोनों सेवाओं के सदस्यों के लिए वेतन निर्धारण की विधि काफी भिन्न है। आर.एस.एस. के एक सदस्य को एक विशेष उच्च ग्रेड की अनुमति है, जबकि आर.ए.एस. के सदस्य को नही। वह अपने पुराने वेतनमान पर ही कायम है और उसे केवल रु.150/- प्रति माह. रु. का अतिरिक्त वेतन

मिलता है। ऐसे में यह मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता कि आर.एस.एस. का कोई सदस्य. उप सचिवों के पद के लिए निर्धारित वेतन के उच्च ग्रेड में रखे जाने के अलावा एक विशेष वेतन भी दिया जाना चाहिए, जब वह पद आर.एस.एस. के सदस्य के पास हो।

इस संबंध में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1951 के नियम 7 (31) की ओर आकर्षित किया, जो विशेष वेतन को परिभाषित करता है। नियम में दी गई परिभाषा यह है कि "विशेष वेतन" का अर्थ है वेतन की प्रकृति, किसी पद या सरकारी कर्मचारी की परिलब्धियों में शामिल किया जाना, जिसे ध्यान में रखते हुए दिया गया हो।

(ए) कर्तव्यों की विशेष रूप से कठिन प्रकृति

(बी) कार्य या उत्तरदायित्व में कोई विशेष वृद्धि; या

(सी) जिस इलाके में काम किया जाता है वहां की अस्वस्थता।

विद्वान वकील द्वारा यह आग्रह किया गया कि, यदि उप सचिव के पद को आर.ए.एस. के सदस्यों के लिए विशेष रूप से कठिन प्रकृति के कर्तव्यों से जुड़ा माना जाता है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि वह पद आर.एस.एस. के सदस्यों के लिए समान रूप से कठिन नहीं है। और, परिणामस्वरूप, आर.एस.एस. के सदस्यों को विशेष वेतन देने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं होगा। ऐसे पद को धारण करना, जब आर.ए.एस. के सदस्यों को विशेष वेतन दिया जाता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रस्तुतिकरण इस नियम के दायरे की ग़लतफ़हमी पर आधारित है। नियम, विशेष वेतन को परिभाषित करने में, किसी पद या सरकारी कर्मचारी की परिलब्धियों में वेतन की प्रकृति को जोड़ने की परिकल्पना करता है और परिणामस्वरूप, यह स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, तो एक विशेष वेतन दिया जाना चाहिए। ऐसा पद जो उसके द्वारा धारित पहले पद की तुलना में विशेष रूप से कठिन प्रकृति का है। इसी तरह, यह उस सरकारी कर्मचारी को भी दिया जा सकता है, जिसे सामान्य तौर पर उसके द्वारा धारण किए जाने वाले पदों की तुलना में विशेष रूप से कठिन कर्तव्यों वाले पद पर नियुक्त किया जाता है, जबकि वह उस सेवा में बना

रहता है जिसमें वह अपनी स्थायी नियुक्ति रखता है। विशेष वेतन पद की प्रकृति में कठिन होने के किसी अंतर्निहित गुण से उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार, जब आर.ए.एस. के सदस्य को विशेष वेतन दिया जाता है। उप सचिव के रूप में नियुक्ति पर, इसका कारण यह हो सकता है कि यह पद उस पद की तुलना में प्रकृति में अधिक कठिन माना जाता है जो उसके द्वारा धारण किया जाता, यदि वह अपनी सेवा के कैडर में नियमित पद पर बना रहता। आर.एस.एस. के एक सदस्य के मामले में, उप सचिव का पद पहले से ही हाई-इन के लिए चयन पद के रूप में नामित किया गया है और जिस पद पर उसे नियुक्त किया गया है, उसके पद की तुलना में इस अंतर को देखते हुए - यदि वह पहले किसी सहायक सचिव पद पर था, तो उसे एक विशेष और उच्च ग्रेड प्रदान किया जाता है, ताकि उसे इस आधार पर विशेष वेतन दिए जाने का कोई सवाल ही न हो कि उप सचिव का पद सहायक सचिव के पद की तुलना में प्रकृति में अधिक कठिन है। इस प्रकार, बनाए गए नियम विभिन्न सेवाओं के सदस्यों को वेतन देने के लिए अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों पर आधारित हैं, भले ही वे एक ही पद पर नियुक्त हों। इन परिस्थितियों में, संविधान के अनुछेद 14 के तहत किसी भी भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता है,या संविधान के अनुछेद 16 के तहत अवसर की समानता से किसी भी तरह का इनकार। अपील में कोई बल नहीं है और इसे खारिज कर दिया गया है, लेकिन, इस मामले की परिस्थितियों में, हम लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देते हैं।

आर .के पी एस

अपील खारिज ।

Vetted by

(देवेन्द्र कुमार-II)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय
गोरखपुर।
जे0 ओ 0 कोड-2154